अभियंता प्रमुख का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश सं0–निग/सारा–5 (पथ)–3133/2004 पटना, दिनांक :– 30/4/26

कार्यालय आदेश –111

श्री बिरेन्द्र कुमार झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.07.2009) के जिम्मे बकाये 3,60,636/–रूपये की वसूली हेतु उनके अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा द्वारा किये गये अंकण के विरूद्ध श्री झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-15568/2004 दायर किया गया। इस वाद में दिनांक–03.08.2005 को पारित आदेश के द्वारा माननीय न्यायालय ने 3,60,636/–रूपये की वसूली को रद्द करते हुए श्री झा से कारण–पृच्छा करने एवं कारण–पृच्छा के समीक्षोपरान्त सचिव द्वारा आदेश पारित करने का न्याय निर्णय दिया गया।

2. तद्‌लोक में प्रभार में पाई गयी कमी के लिए विभागीय पत्रांक–8255 (एस) दिनांक–03.11.2005 के द्वारा श्री झा से कारण–पृच्छा की गयी। समर्पित कारण–पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक–30.11.2005 पर निर्णय लिये जाने हेतु तद्‌ेन सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी, परन्तु निर्धारित की गयी दो तिथियों पर श्री झा उपस्थित नहीं हुयें। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि इनके पूर्व समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर दिनांक–30.11.2005 को ही इनका पक्ष मानते हुए मामले में विचार किया जाय। उनके उक्त बचाव–बयान की विभागीय तकनीकी समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण उत्तर को अमान्य करते हुए यह स्थापित हुआ कि कार्यपालक अभियंता द्वारा श्री झा के अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र में अंकित 3,60,636/–रूपये की वसूली की जानी है।

3. श्री झा के प्रभार में पाई गई सामग्रियों की कमी की प्रमाणिकता को दृष्टिगत कर विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–2899 (ई०) दिनांक–08.06.2011 द्वारा श्री झा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तद्‌लोक में श्री झा के प्रभार में पायी गयी सामग्रियों की कमी के समतुल्य राशि 3,60,636/–रूपये के लिए आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–116 सहपठित ज्ञापांक–3330 (ई०) दिनांक–28.06.2011 के द्वारा श्री झा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–02 अनु० दिनांक–06.01.2012 एवं पत्रांक–11 अनु० दिनांक–17.01.2012 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–1702 (ई) अनु० दिनांक–13.03.2012 द्वारा श्री झा से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री झा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक–27.03.2012 में अंकित तथ्य एवं विभागीय समीक्षोपरांत उसे अस्वीकार योग्य मानते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–6870 (ई०) दिनांक–15.10.2012 द्वारा निम्न

दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) सरकार को हुई वित्तीय क्षति रूपये 3,60,636/– (तीन लाख साठ हजार छः सौ छतीस रूपये) की वसूली इनके अव्यवहृत उपार्जित अवकाश एवं उपादान से की जाय।

5. श्री झा द्वारा उक्त सकारण आदेश के विरूद्ध समर्पित पुनर्विचार आवेदन पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित न होकर श्री झा ने अपनी अस्वस्थ्यता का उल्लेख करते हुए पूर्व में दिये गये बचाव–बयान के आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि इन्होंने अपने पुनर्विचार आवेदन में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया है कि जिसके आलोक में इनके विरूद्ध लिये गये निर्णय पर विचार किया जा सके। तद्आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–569 (ई०) दिनांक–31.01.2014 के द्वारा श्री झा के पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

6. विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–6870 (ई०) दिनांक–15.10.2012 के विरूद्ध श्री झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-19478/2013 दायर किया गया। जिसमें दिनांक–24.03.2026 को पारित आदेश में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–6870 (ई०) दिनांक–15.10.2012 एवं आदेश ज्ञापांक–569 (ई०) दिनांक–31.01.2014 को set aside करते हुए श्री झा के उपादान से की गई कटौती की राशि रूपये–3,60,636/– का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

7. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

(i) CWJC No-19478/2013 में दिनांक–24.03.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री बिरेन्द्र कुमार झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अधिरोपित दंडादेश ज्ञापांक–6870 (ई०) दिनांक–15.10.2012 एवं इसके विरूद्ध उनके द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने संबंधी आदेश ज्ञापांक–569 (ई०) दिनांक–31.01.2014 को निरस्त किया जाता है।

(ii) उक्त के परिणाम स्वरूप श्री झा का सभी देय अनुवर्ती लाभ मिलेगें।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–5 (पथ)–3133/2004 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–5 (पथ)–3133/2004 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०प० उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्र०को०)/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/6/13/14 एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं

निबंधित **श्री बिरेन्द्र कुमार झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा सम्प्रतिः सेवानिवृत द्वारा श्री राघवेन्द्र झा, वार्ड न0–3, लवली आनन्द रोड, सहरसा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–5 (पथ)–3133/2004 2909(E) **पटना, दिनांक :–** 30/4/18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

30/04/18

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।